... व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेज जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.
बि.पू.भु.-04 भोपाल-03-05.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. 108-भोपाल-03-05.

Forest Protection Rul

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 498] भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2004—कार्तिक 8, शक 1926

वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2004

क्र. एफ. 25-20-2004-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 76 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वन सुरक्षा पुरस्कार नियम, 2004 है.

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

(3) ये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16);

(ख) ''वन संरक्षक'' से अभिप्रेत है, किसी वन वृत्त का कोई भारसाधक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किया गया हो;

(ग) ''वन मण्डलाधिकारी'' से अभिप्रेत है किसी वन मण्डल का कोई भारसाधक अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किया गया हो;

(घ) ''अन्य वस्तुएं'' से अभिप्रेत है, कोई यान, उपकरण, पशु, शस्त्र, औजार या कोई अन्य सामग्री जो किसी वन अपराध को करने में उपयोग में लाई गई हो;

... तथा अभिव्यक्तियों का, जिनका इन नियमों में प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा, जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है.

3. **पुरस्कार.**—किसी वन अपराध के अभिकथित अपराधी की दोषसिद्धि पर या उसके वन अपराध के शमन पर, वन मण्डलाधिकारी, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को जिसने/जिन्होंने वन अपराध के पता लगाने में, अपराधी को पकड़ने में, अपराधी की दोषसिद्धि में या वन उपज तथा अन्य वस्तुओं के अधिहरण (जब्ती) में असाधारण सहायता की हो, कोई पुरस्कार, ऐसे अनुपात में जैसा वह उचित समझे स्वीकृत तथा संदाय कर सकेगा. पुरस्कार की राशि किसी भी दशा में अधिनियम की धारा 68 के अधीन स्वीकृत मुआवजा की राशि तथा वन उपज और अन्य वस्तुओं के अधिहरण (जब्ती) के मूल्य या रुपये पच्चीस हजार, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी:

परन्तु दस हजार रुपये से अधिक के समस्त पुरस्कारों के लिए संबंधित वन संरक्षक की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी:

परन्तु यह और कि उप वन मण्डलाधिकारी तथा उपखण्ड पुलिस अधिकारी की श्रेणी से ऊपर की श्रेणी के अधिकारी, इस नियम के अधीन किसी पुरस्कार के हकदार नहीं होंगे.

4. **मंजूरी प्राधिकारी.**—पुरस्कार, संबंधित उप वन मण्डलाधिकारी की सिफारिश पर संबंधित वन मण्डलाधिकारी द्वारा स्वविवेक से या किसी पात्र व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर मंजूर किया जाएगा.

5. **पुरस्कार की वसूली.**—यदि पुरस्कार के संदाय के पश्चात्, अपील में दोषसिद्धि उलट दी जाती है, तो पुरस्कार में संदत्त राशि उन व्यक्तियों से, जिन्हें वह संदत्त की जा चुकी है, तब तक वसूल नहीं की जाएगी जब तक कि यह प्रतीत न हो कि उन्होंने उस मामले में कपटपूर्वक कार्य किया है.

6. **गोपनीय पुरस्कार.**—वन विभाग की गुप्त निधि में से किसी भेदिए को मंजूर किया गया पुरस्कार गोपनीय रखा जाएगा तथा इसे किसी कार्यालय या न्यायालय में परीक्षण के लिए नहीं मांगा जाएगा.

7. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**—ऐसे समस्त नियम तथा आदेश जो इन नियमों के तत्स्थानी हों और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों या आदेशों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गयी किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गयी है.

No. F-25-20-2004-X-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government, hereby makes the following rules, namely:—

RULES

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Forest Protection Rewards Rules, 2004.

(2) They shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definition.**—In these rules unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927);